उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या: 469 /VII-A-1/2023/09(05)/2023
देहरादून,दिनांक: 22 मार्च, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 17/2023 रमेश लाल @ रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत् गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. जिलाधिकारी – अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक – सदस्य
3. नोडल प्रभागीय वनाधिकारी – सदस्य
4. जिला खान अधिकारी – सदस्य
5. सम्भागीय परिवहन अधिकारी – सदस्य
6. जिलाधिकारी द्वारा जनपद का नामित ऐसा व्यक्ति, जो उस क्षेत्र की परिस्थितिकी (Ecology) के संरक्षण में रूचि रखता हो। – सदस्य

उक्तानुसार गठित समिति में खनन क्षेत्र, जिस ग्राम सभा में स्थित होगा, उस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) के सदस्य होंगे।

2– उक्तानुसार प्रत्येक जनपद हेतु गठित जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) से अपेक्षा की जाती है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 का अनुपालन करते हुये अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

संख्या:– 469 / VII-A-1/2023/09(05)/2023,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त, गढवाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त नोडल प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला खान अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

Scanned with CamScanner